ई–गवनर्स के सम्बन्ध में जिला पूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित विवरण :–

1–राशन कार्डो के सम्बन्ध में विवरणः–

अ–वयस्क या एक राशन ईकाई का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने 05 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
ब–अर्ध राशन ईकाई का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने 05 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
स–अन्त्योदय परिवारो का ताप्तर्य उन निर्धन परिवारो से है जिन्हे किसी खाद्य अधिकारी द्वारा बी0पी0एल0 के परिवारो में से चिन्हांकित किया गया हो।
द–राशन कार्ड के सम्बन्ध में धारक का ताप्तर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम या पद नाम उस राशन कार्ड में हो।
ध–परिवार का ताप्तर्य ऐसे व्यक्ति के समूहो सें है जो सामान्यतः एक ही रसोई में पका भोजन करते हो।
न–कोई राशन कार्ड धारक अपने कब्जे में कोई अविधिमान राशन कार्ड नही रखेगा।
प–किसी राशन कार्ड का आवेदन करने के लिये आवेदक गलत विवरण नही देगा।
फ–राशन कार्ड का उपयोग किसी प्रपत्रा में विशेष कर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में किसी पहचान के दस्तावेज के रुप में नही किया जायेगा।

2– राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया :–

अ–आवेदक द्वारा निम्न विवरण के अनुसार प्रमाण–पत्रा संलग्न किया जायेगाः–
1–भवन स्वामी **2**–किरायेदार **3**–पूर्व निवास स्थान से समपर्ण पत्रा लाने वाले **4**–पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले **5**– सरकारी / अर्धसरकारी कार्यालयो में तैनात कर्मचारी **6**–पंजीकृत औद्योगिक प्रतिस्ठान में कार्यरत व्यक्ति **7**–शहर में रहने वाले छात्रा **8**–आवेदन पत्रा की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक जॉच और सत्यापन के पश्चात ही उचित श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

3–राशन कार्ड धारको में वितरण होने वाली साग्रमी का स्केल एंव मूल्य :–

क्रं	मद का नाम	जीन्स	वितरण स्केल	मूल्य	अन्य
1.	अन्त्योदय	गेहूॅ	10.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	2.00 रु0 प्रति किग्रा0	
		चावल	25.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	3.00 रु0 प्रति किग्रा0	
2.	बी0पी0एल0	गेहूॅ	10.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	4.65 रु0 प्रति किग्रा0	
		चावल	25.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	6.15 रु0 प्रति किग्रा0	
		चीनी	00.700.00 किग्रा0 प्रति यूनिट प्रति राशन कार्ड धारक	13.50 रु0 प्रति किग्रा0	

4.	ए0पी0एल0	गेहूँ	10.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	6.60 रु0 प्रति किग्रा0	
		चावल	25.00 किग्रा0 प्रति राशन कार्ड धारक	8.80 रु0 प्रति किग्रा0	
5.	स्मस्त प्रकार के राशन कार्ड धारको को	मि0तेल	03 ली0 प्रति राशन कार्ड धारक जिनके पास गैस कनेक्शन है तथा 05 ली0 प्रति राशन कार्ड धारक बिना गैस कनेक्शन के धारक है।		

4— नयी उचित दर दुकानो की नियुक्ति के सम्बन्ध में :—

1— ग्रामीण एंव नगरीय क्षेत्रा की उचित दर की दुकानो के आंबटन एंव चयन हेतु निम्नवत आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है।

1—अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत।

2—अनुसूचित जन जाति 02 प्रतिशत।

3—अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत।

उपरोक्तानुसार आरक्षित क्षेणी में निम्न होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य किया गया है: —

क—सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी की महिलाओ को 20 प्रतिशत।

ख— सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक 08 प्रतिशत।

ग— सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्राता संग्राम सेनानी 05 प्रतिशत।

घ— सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के विगलांग 02 प्रतिशत।

ग्राम सभाओ के उपर्युक्तानुसार चिन्हाकंन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्राो में राशन की दुकानो का चयन ग्राम की खुली बैठक में प्रस्ताव पास करके किया जायेगा। तथा तीन नामो का पैनल उप—जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को नियुक्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्राो मं राशन की दुकानो मं गठित तहसील स्तरीय समिति का विवरण निम्नवत है:—

1—उप—जिलाधिकारी—अध्यक्ष।

2—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी— सदस्य।

3—अनुसूचित जाति/ जाति एंव पिछड़ी जाति का एक—एक अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाय—सदस्य ।

4—क्षेत्राीय खाद्य अधिकारी— सदस्य/संयोजक।

सम्बद्धीकरण की प्रक्रिया :—

वितरण में अनियमितता पाये पर राशन की दुकान नजदीकी ग्राम सभा की दुकानदार से सम्बद्ध की जायेगी जिस पूर्व ग्रामसभा में दुकान कार्यशील थी उसी ग्रामसभा के प्रधान पर नियत स्थल / तिथि को सम्बद्ध दुकानदार द्वारा खाद्यान्न,चीनी,मिट्टी का तेल का मासिक

वितरण सुनिश्चित काराया जायेगा। दोनो ग्राम सभाओ में आवश्यक सामग्री का वितरण करने हेतु नियत दिवसो में सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी को समायोजन की अनुमति देने का अधिकार होगा। तथा निलम्बित दुकान के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दो माह के अन्दर बहाल/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा, यदि दुकान निरस्त कर दी जाती है, तो उक्त ग्राम पंचायत रिक्त मानते हुए एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में खुली बैटक कराकर चयन समिति के माध्यम से उप–जिलाधिकारी नयी नियुक्ति करेगें।

(सतीश चन्द्र मिश्र)
जिला पूर्ति अधिकारी
सुलतानपुर।